राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ1(2) ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010 जयपुर, दिनांक:–

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

31 AUG 2010

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत** कार्य पर औसत मजदूरी दर के **संबन्ध में।**

प्रसंगः **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक** 20.07.2010 एवं एफ 4 (29) **ग्रावि/नरेगा/पार्ट–2/निरी/09–10** दिनांक 29.12.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के जानकारी में आया है कि योजनान्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यों में से **कुछ कार्यों** पर दैनिक मजदूरी दर, राज्य में लागू **न्यूनतम मजदूरी दर/राज्य की औसत मजदूरी** दर से अत्यधिक कम आ रही है। इस संबन्ध में संवेदनशीलता से विचार कर प्रासांगिक निर्देश दिनांक 20.07.2010 द्वारा कार्य विधि निर्धारित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्रमिकों का नियोजन एवं माप **समूहवार** किया जाकर **समूहवार ही भुगतान** किया जावे। इसके उपरान्त भी जिलों में अभी भी प्रत्येक कार्य पर नियोजित सभी **श्रमिकों को न केवल समान** मजदूरी दर के आधार पर भुगतान किया जा रहा है बल्कि इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि नियोजित श्रमिकों से निर्धारित टास्क पूर्ण करवा कर उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो रहा है अथवा नहीं।

विभाग द्वारा जारी **समसंख्यक पत्रांक दिनांक** 20.07.2010 में प्रति श्रमिक प्रति दिवस की **अधिकतम एवं न्यूनतम मजदूरी दर** अंकित किये जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु इस प्रपत्र में **कार्य समाप्ति के उपरान्त ही समूहवार अधिकतम** एवं न्यूनतम मजदूरी दर का पता लग सकता है। कार्य पर उपरोक्तानुसार प्राप्त हो रही मजदूरी दर अत्यधिक न्यून होने की स्थिति में यह आवश्यक है कि **कार्य की प्रगति के दौरान** ही प्राप्त होने वाली मजदूरी दर के बारे में विभिन्न स्तरों पर यथा मेट, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम सचिव, सरपंच, पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, कार्यक्रम अधिकारी, ब्लाक कोर्डिनेटर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा अन्य निरीक्षणकर्ता के स्तर पर जानकारी प्राप्त हो ताकि प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाये जा सकें।

अतः इस संबन्ध में यह **निर्देशित** किया जाता है कि कार्य की प्रगति के दौरान ही कार्य पर मजदूरी **दर अत्यन्त न्यून होने की स्थिति** में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें :–

क्र. स.	कार्य प्रगति के दौरान कार्य पर प्राप्त मजदूरी दर	की जाने वाली कार्यवाही
1	राज्य की औसत मजदूरी दर (लगभग रू.70/–) से कम परन्तु रू.50/–से अधिक	• मेट द्वारा तुरन्त ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सचिव/सरपंच/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को अवगत कराना। • ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सचिव/सरपंच/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा उक्त के संबन्ध में संबन्धित कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता को तुरन्त प्रभाव से अवगत कराना। • कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत सहायक अभियन्ता से तुरन्त कार्य की जांच। • कम दर आने के संबन्ध में वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाकर कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही
2	प्राप्त न्यूनतम मजदूरी दर रू. 50/–से कम परन्तु रू. 10/– से अधिक	• कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रकरण ब्लाक कॉर्डिनेटर, अधिशाषी अभियन्ता नरेगा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की जानकारी में लाना। • कार्यक्रम अधिकारी स्वयं सहायक अभियन्ता के साथ कार्य का निरीक्षण करेगें तथा कम दर प्राप्त होने का कारण का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराना। • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के दिशा–निर्देशानुसार मौका निरीक्षण करना एवं सुधारात्मक कदम उठाना।
3	न्यूनतम मजदूरी दर रू. 10/– से भी कम	• कार्य की जांच जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा ही संपादित की जावे।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं व्यवस्थित करने के संबन्ध में जारी निर्देश दिनांक 29.12.2009 के साथ संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में बिन्दु संख्या 37 के उपरान्त संबन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर प्राप्त हो रही मजदूरी दर के संबन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जायेगी एवं कार्य पर प्राप्त हो रही न्यूनतम मजदूरी दर राज्य की औसत मजदूरी (लगभग रू. 70/– प्रतिदिन) दर से कम आने पर निरीक्षणकर्ता द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को व्यक्तिशः अवगत कराया जावें। न्यूनतम मजदूरी दर रू. 50/–से कम होने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी व्यक्तिशः अवगत कराया जावें। विभाग द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्तानुसार संशोधन कर लिया जावें।

कार्य की समाप्ति के पश्चात श्रमिकों की वेज लिस्ट बनाते समय कार्मिक के नाम के साथ उसकी औसत मजदूरी दर भी अंकित की जावें। न्यूनतम मजदूरी दर रू. 70/–से कम होने की स्थिति में संबन्धित लेखा कार्मिक द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक रूप से अवगत करवाया जायेगा। यदि कार्यक्रम अधिकारी को कार्य की प्रगति के दौरान ही इस संबन्ध में सूचना प्राप्त हो चुकी हो एवं उसके द्वारा आवश्यक जांच सम्पादित करा ली गयी हो एवं कार्यक्रम अधिकारी प्राप्त दर से सन्तुष्ट हो तो मजदूरी का भुगतान तुरन्त किया

जायेगा, परन्तु कार्य की समाप्ति के उपरान्त ही कम मजदूरी दर की जानकारी प्राप्त होने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रू. 50/–से अधिक की मजदूरी दर वाले मजदूरों का भुगतान तुरन्त किया जायेगा, परन्तु रू. 50/–से कम मजदूरी दर होने की स्थिति में कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिवस में जांच उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जांच एवं भुगतान, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी एवं जांच के उपरान्त मजदूरी दर में अन्तर होने पर शेष राशि का भुगतान जांच उपरान्त किया जा सकेगा।

यदि कार्यक्रम अधिकारी के पास कार्य की प्रगति के दौरान उक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह लेखा कार्मिक से प्राप्त सूचना के पश्चात तत्काल दोषी कार्मिक के विरूद्व कार्यवाही सम्पादित करेगा जिनमें अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन पर रू. 1000/–का दण्ड और/अथवा कार्मिक (क–3) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ 3 (1) डीओपी/ए–III / 2004 दिनांक 08.02.2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से 3 वार्षिक वेतन वृद्वि रोका जाना शामिल है। इसी प्रकार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को समय पर सूचना नहीं देने की स्थिति में उसके विरूद्व नियमानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्य पर भुगतान श्रमिकों द्वारा सम्पादित टास्क के आधार पर ही किया जाना है। कार्य पर नियोजित श्रमिकों द्वारा यदि कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है तो ऐसे श्रमिकों को चिन्हित कर उनका नाम कार्यस्थल पुस्तिका में निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया जायेगा तथा मस्टररोल पर भी उपस्थिति तो अंकित की ही जायेगी परन्तु कार्य नहीं करने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात रोजगार दिवसों की संख्या में गणना की जावेगी परन्तु कार्य नहीं करने के कारण भुगतान नहीं दिया जायेगा एवं इसका इन्द्राज मस्टररोल पर तथा दैनिक माप प्रपत्र पर आवश्यक रूप से किया जायेगा।

कार्यों पर प्राप्त मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी दर की रेखाकार सूचना अलर्ट पर उपलब्ध कराने हेतु एनआईसी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी आग्रह किया जा चुका है।

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि एमआईएस की निरंतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित कराये तथा स्वयं भी देखे एवं उसमें उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर अपने जिले की मजदूरी दर की भी मॉनिटरिंग कर एवं अत्यन्त न्यून दर वाले कार्यों को चिन्हित कर प्राप्त न्यून मजदूरी दर के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाकर तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जावे।

उक्त निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4 समस्त संबन्धित अधिकारी/कार्मिक।
5 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त,ईजीएस (प्रथम)